05 02/21 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी ~~निरीक्षण कार्य~~। अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 22.2.2021 को पेश हो।

22 02/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/02/2021 को पेश हो।

26 02/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि ग्राम मोयणा पटवार मण्डल गजपुर की आराजी नम्बर 4441, रकबा 0-02-05 किस्म चौड़-1 प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
जिला-राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द (राज.)

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

ी संख्या 45 सन् 2019 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र

सोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य

नांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
	जिस पर आने जाने हेतु आराजी नम्बर 2042 रकबा 6-03-05 किस्म मगरी बिलानाम गैर कालिल काश्त भूमि से रास्ता रेकार्ड मे दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी नियमानुसार भूमि की D.L.C. दर अनुसार दो गुनी कीमत जमा कराने हेतु तैयार है।	
	तहसीलदार कुंभलगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ संलग्न पटवारी/ILR रिपोर्ट पर्चा मौका के अनुसार प्रार्थी का मकान आराजी नम्बर 444/1 रकबा 00-02-05 बीघा भूमि पर बना हुआ है।	
	पत्रावली एवं रिपोर्ट/पर्चा मौका का अवलोकन किया गया। अवलोकन से सिद्ध है कि आ.नं. 444/1 रकबा 00.02.05 बीघा भूमि पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है। धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे काश्तकार को अपने खेत/कृषि भूमि मे आने जाने के लिए एवं कृषि कार्य एवं कृषि उपकरण/साधन के आवागमन हेतु रास्ते प्रदान किये जाने का प्रावधान है। प्रश्नगत प्रकरण मे प्रार्थी ने 0.02.05 बीघा भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है जिस पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है व आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग मे ली जा रही है। जिससे धारा 251A के प्रावधान लागू नहीं होते है।	
	अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A राज. काश्त. अधि. का अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द (राज.)	

Scanned with CamScanner